## कार्यालय मुख्य अभियन्ता (पथ–प्रथम), सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : प.45 / पीएण्डएम–II / परिपत्र / 07 / 55 दिनांक 5/5/2007

**परिपत्र–4 (2007–08)**

सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सडक एवं पुल निर्माण कार्यो हेतु समय–समय पर खातेदारी भूमि का अधिग्रहण सम्बन्धित खातेदारों को भुगतान कर की गई है। प्रायः यह देखा गया है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग अवाप्त की गई भूमि का कृषकों को भुगतान तो कर दिया जाता है, लेकिन भूमि का नामान्तकरण किन्ही कारणों से विभाग के हक में नहीं किया जाता है, जिससे सम्बन्धित खातेदारों को उक्त भूमि का लगान का भी भुगतान करना पडता है एवं भूमि विभाग के खाते में नामान्तरित नहीं हो पाती है। अतः निर्देशित किया जाता है कि सभी अधिशाषी अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता एक अभियान के तहत वर्षा ऋतु में माह जुलाई से सितम्बर तक ऐसे सभी नामान्तकरणों को विभाग के पक्ष में खुलवाने की सुनिश्चितता करें।

मुख्य अभियता (पथ प्रथम)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है:–

1. अति0 मुख्य अभियन्ता, सा0नि0वि0 जोन. (समस्त)
2. अधीक्षण अभियन्ता, सा0नि0वि0 वृत (समस्त)
3. अधिशाषी अभियन्ता, सा0नि.वि. खण्ड (समस्त)

मुख्य अभियता (पथ प्रथम)